

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्स:-0135-2741607,2742641
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com तथा

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
पुरोला।

देहरादून दिनांक, 27 फरवरी, 2017।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर "4406-01-101-03-00-वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण" के अन्तर्गत साख-सीमा मर्दों में बजट/साख-सीमा का आवंटन।

संदर्भ :- शासनादेश सं0 298/X-2-2017-12(55)/2012 दिनांक 20 फरवरी, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,


सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी-S1702270092 दिनांक 16.02.2017 से वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "4406-01-101-03-00-वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण" के अन्तर्गत गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के "पर्यटन मार्ग भीतरी से भराडसर ताल का मरम्मत/सेतुओं का निर्माण कार्य" हेतु साख-सीमा मर्दों में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि ₹ 16,90,000/- (₹ सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) का ऑन लाइन आवंटन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी-उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

- 1- किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) (संशोधन) नियमावली 2015, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। प्रश्नगत कार्य पूर्ण कर धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारितायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 4- बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 5- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- 7- प्रश्नगत कार्य को उसके औचित्यपूर्ण लागत के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाये। किसी भी दशा में आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2009) दिनांक 30.05.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 9- आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,


(जीवन चन्द्र जोशी) 28/2/17
वित्त नियंत्रक

(2)


संख्या: नि0 1642 (1)/3-5 (वन मोटर मार्ग/अश्व मार्ग) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 एवं अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी-उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला। कृपया उक्त पैरा-1 से 9 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सन्दर्भित संलग्न शासनादेश में उल्लिखित उक्त कार्य "पर्यटन मार्ग भीतरी से भराडसर ताल का मरम्मत/सेतुओं का निर्माण कार्य" के सम्पादन हेतु आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- 8-उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित बजट/धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार




(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1642/3-5

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - C1702270227

आवंटन पत्र दिनांक -27-Feb-2017

CCL Division Name - Deputy Director Govind Wildlife Sanctuary, Purola (3304) , Treasury - Purola (4101)

लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंज 01 - वानिकी
101 - वन संरक्षण और विकास
03 - वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण
00 - वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	17843000	1690000	19533000
	17843000	1690000	19533000

Current Allotment To Above Division - 1690000

Total Allotment To Above Treasury in Division - 1690000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण - 410133040000931	24 वृहत् निर्माण कार्य	4406011010300	13343000	1690000	15033000
2	वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण - 410133040000943	24 वृहत् निर्माण कार्य	4406011010300	4500000	0	4500000
Total -				17843000	1690000	19533000